माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैंप भोपाल म0प्र0

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2018/1988 निगरानी प्रकरण कं...........

1. श्रीमती फरहत आरा बेगम पत्नी स्व. मंजूर हसन
2. श्रीमती नजमा अली पत्नी श्री जमीर अली
   पुत्री स्व. मंजूर हसन
3. श्रीमती निगहत हसन पत्नी श्री मेहमूद हसन
   पुत्री स्व. मंजूर हसन
4. श्रीमती मेहजबी पत्नी श्री मजहर अंसारी
   पुत्री स्व. मंजूर हसन
5. श्रीमती रफत खान पत्नी श्री मजहर अंसारी
   पुत्री स्व. मंजूर हसन
6. श्रीमती शबाना उद्दीन पत्नी नईम उद्दीन
   पुत्री स्व. मंजूर हसन
7. अफरोज हसन पुत्र स्व. मंजूर हसन
8. श्रीमती रजिया हसन पत्नी स्व. फीरोज हसन
9. फैज हसन पुत्र स्व. फीरोज हसन
10. श्रीमती फेहरीन पत्नी शहाब खिल्जी पुत्री स्व. **फीरोज हसन**
11. कुमारी तईन पुत्री स्व. फीरोज हसन

निवासीगण– आशोक धर्मकाटा
सरेस मिल के पास पुराना चुग्गी नाका
जहांगीराबाद भोपाल म0प्र0 ----- निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1. गुलाम अहमद जीलानी पुत्र मोहम्मद इलियास खॉ
2. गुलाम हजरत जीलानी पुत्र मोहम्मद इलियास खॉ
3. आगा खॉ जीलानी पुत्र मुहीउद्दीन उर्फ फरीद खॉ **जीलानी**
4. कमर खॉ जीलानी पुत्र मुहीउद्दीन उर्फ फरीद खॉ **जीलानी**
5. असद खॉ जीलानी पुत्र गुलाम अहमद जीलानी
6. गुलाम अहमद पुत्र गुलाम अहमद जीलानी
7. जफर खॉ पुत्र गफ्फार खॉ
8. तोफीक खॉ पुत्र गफ्फार खॉ
9. शबाना पुत्री गुलाम अहमद जीलानी

10. गुलाम रसूल उर्फ टिक्का खॉ पुत्र गुलाम अहमद जीलानी
11. हामिद जीलानी पुत्र गुलाम अहमद जीलानी
12. राजा मियॉ पुत्र गुलाम अहमद जीलानी
13. खालिद मियॉ पुत्र गुलाम अहमद जीलानी
14. राशिद खॉ पुत्र गुलाम
द्वारा खालिद खॉ पुत्र गुलाम अहमद जीलानी
समस्त निवासीगण– ग्राम खुदारामपुर
मजरा छिरारी तहसील लटेरी जिला
विदिशा मप्र ------ प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

विरूद्ध आदेश दिनांक 02.01.2018

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण राजस्व प्रकरण कं. 1/स्वमेव निगरानी/2017–18 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लटेरी जिला विदिशा के प्रकरण जो कि प्रतिप्रार्थीगण की ओर से आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2017 के आधार पर दर्ज होकर जिसका निराकरण दिनांक 02.01.2018 को किया जाकर निगरानी स्वीकार की गई जिसके आधार पर निगरानीकर्तागण के पक्ष में नामांतरित आदेश दिनांक 29.11.2017 को निरस्त किया गया है से दुखी होकर एवं असहमति व्यक्त करते हुये यह निगरानी निम्न वैधानिक बिन्दु एवं आधारों पर प्रस्तुत करते हैः–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि निगरानीकर्ता कं. 1 के पति एवं निगरानीकर्ता कं. 2 से 7 के पिता स्व. मंजूर हसन पुत्र अब्दुल सलाम निगरानीकर्ता कं. 1 के पुत्र एवं निगरानीकर्ता कं. 2 से 7 के भाई तथा निगरानीकर्ता कं. 8 के पति एवं निगरानीकर्ता कं. 9 से 11 के पिता स्व. फिरोज हसन पुत्र स्व. मंजूर

निरंतर.....3

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1988 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लटेरी जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 01/स्वमेव निगरानी/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 02.01.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। (एम.गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	